राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प.9(34)राज–6/2019/1110(PS Cell)/35 जयपुर दिनांकः– 18/06/2020

1.समस्त, सम्भागीय आयुक्त
2.समस्त, जिला कलक्टर,राजस्थान।

परिपत्र

भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 (''1984 अधिनियम'') एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013(''2013 अधिनियम'') के तहत नगर पालिका के स्वामित्व की/नाम दर्ज की गयी भूमि पर देय मुआवजा के संदर्भ में एवं किसी राजकीय विभाग की भूमि आवाप्त होने की स्थिति में कतिपय जिला कलक्टरर्स द्वारा मुआवजा किस के खाते में जमा कराया जाये अथवा किसको दिये जाये, इस बाबत मागदर्शन चाहा जाता रहा है।

2. जहां तक नगर पालिका के नाम दर्ज/स्वामित्व की भूमि का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

" 68- सम्पत्ति का निहित होना.– *(1) इस धारा में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट स्वरूप की सम्पूर्ण सम्पत्ति, जो राज्य सरकार द्वारा 9 (102) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क) 102 विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गयी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी, तथा ऐसी सम्पूर्ण अन्य सम्पत्ति सहित, चाहे वह किसी भी स्वरूप या प्रकार की हो, जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गयी हो, जो नगरपालिका में निहित हो जाये, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और प्रयोजन के लिए उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जायेगी, अर्थात् :– (क) समस्त निहित सार्वजनिक भूमि; (ख) नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, खाद और विष्ठा के डिपो तथा प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिक निधि से निर्मित किये गये हैं या संधारित किये जाते हैं; (ग) समस्त सार्वजनिक तालाब, जल–धाराएं, जलाशय, कुण्ड झरने, जलसेतु, नलिकाएं, सुरंगें, पाइप और पम्प; तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, इनमें संबंधित या उनसे सम्बद्ध सामग्री तथा वस्तुएं तथा किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न कोई पार्श्वस्थ भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति न हों; (घ) किसी मार्ग में, उसके पार्श्वस्थ या उसके नीचे की समस्त सार्वजनिक मलनालियां और नालियां, जलसरणियां, सुरंगें, पुलियाएं और जलमार्ग; भाग 4 (क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (103) 103 (ङ) समस्त सार्वजनिक मार्ग और पटरियां, तथा उन पर के पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराये गये समस्त वृक्ष, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएं; (च) सभी सार्वजनिक उद्यान और बाग, जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं; (छ) नदियों या जल–धाराओं या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट; (ज) ऐसी सरकारी भूमियां, जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर स्थित हों या बाहर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में निहित करे; (झ) समस्त सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्भे, तथा उनसे संबंधित या उनसे सम्बद्ध उपकरण; (ञ) समस्त सरकारी भवन तथा समस्त निजी भूमियां और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित किये गये है ; (ट) मृत शरीरों के निर्वतन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित हैं; (ठ) सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संगृहीत सभी ठोस अपशिष्ट, जिसमें मृत पशु और पक्षी*

निरन्तर - 2

सम्मिलित हैं; और (ड) सभी भटके हुए जानवर, जो किसी प्राईवेट व्यक्ति के नहीं हैं। 9 (104) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क) 104 (2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित की गयी किसी भी सरकारी भूमि को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करे, समय पर पुनर्गृहीत करने के लिए सक्षम होगी,– (प) यदि जांच करने पर यह पाया जाये कि ऐसी नगरपलिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबन्ध किया है, या (पप) यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो। ''

3. उक्त धारा 68 (2) (ii) के अनुसार राज्य सरकार (स्वायत्त शासन विभाग) अधिसूचना द्वारा लोकहित में उक्त प्रावधान के दृष्टिगत नगर पालिका के स्वामित्व की/नाम दर्ज की गई भूमि को राज्य सरकार के किसी भी राजकीय विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्गृहित कर सकती है; एवं ऐसी स्थिती में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984(''1984 अधिनियम'') एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 (''2013 अधिनियम'') के तहत न तो अधिग्रहण की कार्यवाही अपेक्षित है, और न ही इन अधिनियमों के तहत मुआवजा देय है।

4. जहां तक राजकीय विभागों की भूमि का संबंध है, इस बाबत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 324 एवं 325 में अन्य विभागों को भूमि हस्तान्तरित करने बाबत निम्नानुसार प्रावधान है:–

'' Rule 324: Sale or transfer of Government land : (1) Except as expressly provided otherwise in any rule or order made by Government, no land or building belonging to Government shall be sold or otherwise transferred or made over to a local body or any person or institution for public, religious, educational or any other purpose, without previous sanction of Government. 1 [(2) All land which is the property of Government shall ordinarily be sold through the revenue Department. Lands in the possession of departments are for their departmental purpose only and when any portion of the land assigned to them ceases to be required for those purposes, the Revenue Department shall have the powers to lay down the procedure for disposal of such land & all appurtenances thereto in concurrence with FD. However, certain percentage of receipts from such disposal of land may be allowed to the concerned department through budgetory process by Finance Department.] (3) Except in cases in which Government have decided to forgo land revenue and to sell or part with the land without assessment to land revenue, in every cases the land to be sold or transferred shall be assessed to land Revenue and the assessment notified to intending purchasers, etc. (4) Interest payable on possession be for settlement of sale price: Whenever any Government land or building is sold to a public body or a private individual, and the purchaser takes possession of the property before the sale price is settled and paid, interest at rate prescribed on the sale price shall be charged when more than one month elapses between the date of taking over of the land or building and the payment of price. (5) Compensation payable by Local authority on resumption of Government Property : When any immovable property which belongs to Government, is made over to a local authority for public, religious, educational or any other purpose, the grant shall be made expressly on a condition, in addition to any others that may be settled, that the property shall be liable to be resumed by Government if used for other than the specific purpose for which it

निरन्तर-3

is granted, and that shall the property at any time be resumed by Government, the compensation payable therefore, shall in no case exceed the amount (if any) paid to Government for the grant together with the cost or the present value, whichever may be less of any building erected or other work executed on the land by the local authority.

Rule 325 : Transfer of Government land or buildings to Departments : (1) Transfer to or from department other than Commercial Department. When any land or building is transferred from one department of Government to another, the transfer shall be free of all charges, when, however, the property is transferred to or from a commercial department, Public Sector undertakings the transfer will be effected on the following basis:- (2) In the case of transfers to or from a Commercial Department:- (i) present day cost minus depreciation as assessed by the Public Works Department. In the case of Public Sector Undertakings:- (ii) The allotment of land to and recovery of cost of buildings from the Public Sector Undertakings shall be at market value. Note : Market value would mean as the price which the land etc. would fetch if sold in the open market subject to the ground rent or assessment shown against it in the revenue registers or is not shown in the register, the ground rent or assessment levied at the rate at which ground rent or assessment is actually being levied on similar lands in the neighborhood. (3) If any dispute arises in the application of this rule the matter shall be referred to the Finance Department. (4) The transfer of land and building between the State and Central Governments shall be in accordance with terms as may be agreed upon by the respective Government"

5. पैरा 4 में वर्णित उक्त नियमों को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में भूमि वांच्छित होने पर उक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए किसी भी राजकीय विभाग की भूमि राज्य सरकार के किसी अन्य राजकीय विभाग इत्यादि को हस्तान्तरित की जा सकती है; एवं इस प्रकार ऐसी स्थिती में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984("1984 अधिनियम") एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 ("2013 अधिनियम") के तहत न तो अधिग्रहण की कार्यवाही अपेक्षित है, और न ही इन अधिनियमों के तहत मुआवजा देय है।

6. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 325(4) के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए तथा राजस्व (ग्रुप–6)विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(4)राज–6/2001/पार्ट जयपुर दिनांक 28.04.2016 (संलग्नक-- 1) सपठित परिपत्र क्रमांक प.1(4)राज–6/2001/5 जयपुर दिनांक 23.06.2004 (संलग्नक–2) के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजकीय भूमि निःशुल्क

आवंटित की जाती है; परन्तु यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति या राज्य सम्पत्ति सड़क सीमा में स्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा; तथा प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक गतिविधि किये जाने पर भूमि का मूल्य डी.एल.सी दर पर अदा करने का दायित्व रहेगा।

7. अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न परिपत्रों के अनुसार भूमि आवाप्ति अधिनियमों एवं राजस्व विभाग के संलग्न परिपत्रों के तहत मुआवजा निर्धारण के प्रकरण निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(संदीप वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त शासन अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिव गण/सचिवगण, राजस्थान सरकार।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, श्याम नगर जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव